न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 96/2024

करणसिंह पुत्र फूससिंह जाति राजपुत निवासी कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. फूससिंह पुत्र सागरसिंह जाति राजपुत निवासी कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. राजपालसिंह पुत्र फूससिंह जाति राजपुत निवासी कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. किशनसिंह पुत्र फूससिंह जाति राजपुत निवासी कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री गौतम सेनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 02/09/2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सागरसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपुत निवासी कातर बडी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 147 तादादी 11.5462 हेक्टेयर, खसरा संख्या 402 तादादी 15.9977 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 27.5439 हेक्टेयर भूमि वाके रोही कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादी के दादा सागरसिंह का कई वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो गया। वादी के दादा सागरसिंह का स्वर्गवास होने के बाद वादगत भूमि का विरास्तन नामान्तकरण वादी के पिता फूससिंह व फूससिंह के भाइयों के नाम दर्ज हुआ। उक्त विरास्तन नामान्तकरण के आधार पर सागरसिंह की भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का मालिक वादी का पिता फूससिंह अकेला बना। जो आज दिनांक को वादी के पिता फूससिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के दादा सागरसिंह के नाम होने से वादी की पुस्तेनी भूमि है। वादी का जन्म

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

अपने दादा सागरसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का कर्ताधर्ता होने के कारण सागरसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत की खातेदारी अपने अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी। वादगत खेत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति के है। वादगत खेत प्रतिवादी संख्या 1 के स्व अर्जित खेत न होकर पैत्रिक सम्पति के खेत है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रिक सम्पति में पौत्र का जन्म से ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए वादगत खेत में वादी का 1/12 हिस्सा जन्म लेते ही कायम हो गया। वादगत खेत की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी जो वादी के मुकाबले शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत खेत का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले शुन्य है तथा वादी वादगत खेत में 1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। सागरसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/12 हिस्सा के साथ ही वादी का 1/12 हिस्सा नियत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत खेत की खातेदारी में अपने अकेले का नाम दर्ज कराया जो गलत रूप से दर्ज कराया। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादगत खेत की दर्ज खातेदारी को संशोधित किया जाकर वादी के नाम 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/12–1/12 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जावे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 15.08.2021 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी में संशोधन कराये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इन्कार कर दिया ओर वादी को ऐलानीया तौर पर धमकियां दी की वोह वादी को उसके हिस्से पांति के खेत से जबरन बलपूर्वक बेदखल करके कब्जा स्वंय करेगा या किसी अन्य का करायेगा। यदि इस दोषपूर्ण कृत्य में प्रतिवादी संख्या 1 सफल हो गया तो वादी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी वादी को अपूर्तिय क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को जरीये चिर निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत भूमि का जब तक राजस्व रेकार्ड में संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करें ओर ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का कराये। ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटे आदि पैदा स्वयं करे

उपखण्ड अधिकारी
Scanned by CamScanner

या किसी अन्य से कराये जिससे वादी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी एवं पैत्रिक सम्पति के खेत है एवं कब्जा काश्त में होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी. पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पेरोकार राज की तरफ से प्रतिवादी संख्या 4 ने दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से इकबाल जवाब पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2028, जमाबंदी संवत 2074–2077 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है।

बहस वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को निर्णित करने का निवेदन किया। वकुलान की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पुस्तैनी भूमि है ओर पुस्तेनी भूमि में वादी का हित निहित है। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादी की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादी के दादा सागरसिंह के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादी की पुस्तेनी भूमि है जो पहले वादी के दादा सागरसिंह के खातेदारी अधिकार की थी। सागरसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिकी योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कातर बडी के खसरा संख्या 147, 402 तादादी क्रमशः 11.5462, 15.9977 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 27.5439 हेक्टेयर भूमि में खातेदार फूससिंह पुत्र सागरसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपुत निवासी कातर बडी के स्थान पर फूससिंह पुत्र सागरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपुत निवासी कातर बडी व राजपालसिंह, किशनसिंह, करणसिंह पुत्रगण फूससिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपुत निवासी कातर बडी के नाम ब.हि.ब. खातेदारी में दर्ज की जावे। उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

करणसिंह बनाम फूससिंह आदि

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मुकदमा नं.– 96/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री गौतम सेनी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कातर बडी के खसरा संख्या 147, 402 तादादी कमशः 11.5462, 15.9977 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 27.5439 हेक्टेयर भूमि में खातेदार फूससिंह पुत्र सागरसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपुत निवासी कातर बडी के स्थान पर फूससिंह पुत्र सागरसिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपुत निवासी कातर बडी व राजपालसिंह, किशनसिंह, करणसिंह पुत्रगण फूससिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपुत निवासी कातर बडी के नाम ब.हि.ब. खातेदारी में दर्ज की जावे। उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज .....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक .....को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/09/2021

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बीदासर

ओहदा .....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमि नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमि नर बाबत इजराय हुक्म मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner